भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3741
जिसका उत्तर 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।
27अग्रहायण, 1946 (शक)

डीपीडीपी अधिनियम के अंतर्गत नियम

3741.डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने और कार्यान्वित करने की वर्तमान स्थिति क्या है और उन्हें अंतिम रूप देने और लागू करने की संभावित समय-सीमा क्या है;
(ख) क्या डीपीडीपी नियमों का प्रारूप तैयार करने में हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था और यदि हां, तो प्राप्त किए गए प्रमुख फीडबैक का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा इसके प्रावधानों से प्रभावित होने वाले अन्य विधानों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग):डिजिटलव्यक्तिगतडेटासंरक्षणअधिनियम, 2023 (डीपीडीपीअधिनियम) को 11 अगस्त 2023 कोमाननीयराष्ट्रपतिकीस्वीकृतिप्राप्तहुई। डीपीडीपीअधिनियमकेप्रारूपणमेंउपयोगकिएगएकुछसिद्धांतों, जैसेसरलभाषाकाउपयोगकरना, अनावश्यकक्रॉसरेफरेंसिंगसेबचना, प्रासंगिकपरिभाषाउपलब्ध करानाऔरउदाहरणप्रदानकरनाआदिकाडीपीडीपीनियमोंकेप्रारूपणमेंभीपालनकियागयाहै।
डीपीडीपीअधिनियमकेप्रारूपणकेदौरानकिएगएविस्तृतअभ्यासकेबाद,
नियमोंकेप्रारूपणकेलिएभीइसीतरहकाविस्तृतअभ्यासकियागयाहै।
नियमोंकाप्रारूपणकरतेसमयउद्योगनिकायों, सिविल सोसाइटियों, सरकारीसंगठनोंआदिसहितविभिन्नहितधारकोंकेसाथविस्तृतचर्चाऔरपरामर्शकिए गए हैं। नियमोंकाप्रारूपणअंतिमचरणमेंहै। डीपीडीपीनियमोंपरआगेका परामर्शमसौदानियमोंकेप्रकाशनकेबादकियाजाएगा।डीपीडीपी अधिनियम के ये प्रावधान कुछ समय के लिए लागू किसी भी अन्य कानून के अतिरिक्त हैं और इनसे उस कानून का उल्लंघन नहीं होता है।

****